"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जी. एल. वर्मा आत्मज स्व. के. पी. वर्मा, उम्र-52 वर्ष, निवासी-जी-53, सूर्या अपार्टमेन्ट, मॉडल टाउन, नेहरूनगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री ट्विंकल वर्मा का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. अनुपा वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को कु. अनुपा वर्मा आत्मजा जी. एल. वर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. ट्विंकल वर्मा आत्मजा-जी. एल. वर्मा निवासी-जी-53 सूर्या अपार्टमेन्ट, मॉडल टाउन नेहरूनगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. अनुपा वर्मा आत्मजा-जी. एल. वर्मा निवासी-जी-53 सूर्या अपार्टमेन्ट, मॉडल टाउन नेहरूनगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अर्चिता भीमनानी धर्मपत्नी श्री भरत भीमनानी, उम्र-27 वर्ष, जाति-सिंधी, निवासी-अनुपम नगर वार्ड नं.-19, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम "कु. स्वेका थारानी" पिता श्री निर्मलदास थारानी, निवासी-भाटापारा (छ. ग.) था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम "श्रीमंती अर्चिता भीमनानी" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अर्चिता भीमनांनी धर्मपत्नी श्री भरत भीमनानी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

कु. स्वेका थारानी
पिता-श्री निर्मलदास थारानी
निवासी - माता देवालय वार्ड
भाठापारा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती अर्चिता भीमनानी
धर्मपत्नी श्री भरत भीमनानी
निवासी - अनुपम नगर
वार्ड क्र.-19, राजनांदगांव
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. गोपाल प्रसाद चन्द्राकर पिता-श्री रामसाय, उम्र-40 वर्ष, जाति-सूर्यवंशी, निवासी-ग्राम-पिसौद तहसील जांजगीर जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.) का हूं, वर्तमान में मैं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पशु चिकित्सालय, धमतरी जिला धमतरी में पदस्थ हूँ तथा मेरे समस्त रिकार्ड एवं अभिलेखों में मेरा नाम गोपाल प्रसाद चन्द्राकर अंकित है. यह कि मैं अपने उपनाम "चन्द्राकर" को परिवर्तित कर अपना उपनाम "सूर्यवंशी" रख लिया हूं तथा समस्त दस्तावेजों में अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे डॉ. गोपाल प्रसाद सूर्यवंशी पिता श्री रामसाय के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

डॉ. गोपाल प्रसाद चन्द्राकर
पिंता-श्री रामसाय
निवासी - ग्राम -पिसौद
तहसील-जांजगीर
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

नया नाम

डॉ. गोपाल प्रसाद सूर्यवंशी
पिता-श्री रामसाय
निवासी - ग्राम -पिसौद
तहसील-जांजगीर
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नवनीत पड्डा पिता- श्री डी. एस. पड्डा, उम्र 20 वर्ष, निवासी प्लाट नं.-14, सड़क नं.-26, शांतिनगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नवनीत पड्डा दर्ज है, "पड्डा" मेरा उपनाम है, जिसे मैं परिवर्तित कर अपना उपनाम "सोनी" अर्थात् नवनीत सोनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नवनीत सोनी पिता श्री डी. एस. पड्डा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

नवनीत पड्डा
पिता-श्री डी. एस. पड्डा
निवासी - प्लाट नं.-14
सड़क नं.-26, शांतिनगर, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नवनीत सोनी
पिता-श्री डी. एस. पड्डा
निवासी - प्लाट नं.-14
सड़क नं.-26, शांतिनगर, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 31 मई 2010

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियंम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास पाटन जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1011/प्र. 1/अविअ/2010.— चूंकि श्रीराम जानकी स्वामी ट्रस्ट अर्जुन्दा तहसील गुण्डरदेही की ओर से न्यासी कृष्णा देवांगन साकिन टिकरी अर्जुन्दा तहसील गुण्डरदेही जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-06-2010 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पी. तिर्की, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग पाटन जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30-06-2010 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम और पता : श्रीराम जानकी स्वामी ट्रस्ट, अर्जुन्दा तहसील गुण्डरदेही जिला-दुर्ग (छ. ग.)

2. चल संपत्ति : निरंक

3. अचल संपत्ति :

मौजा	ख. नं.	रकबा
भरदा प. ह. नं. 03	318	1.01 हे.
तहसील डौंडी लोहारा	324	9.45 हे.
	432	3.66 हे.
	472	0.36 हे.
	607	5.38 हे.
अर्जुन्दा प. ह. नं. 14	923	0.76 हे.
तह. गुण्डरदेही	1009	0.46
कुल ख. नं.	**07**	**कुल रकबा-21.08**

आज दिनांक 14-05-2010 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. तिर्की,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2010

फार्म-चार

[नियम देखिए]

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक /998/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-.—आवेदक श्री राहुल मोहबिया पिता राममनोहर मोहबिया, निवासी टिकरापारा, बिलासपुर, छ. ग. के द्वारा "The People Educational Trust, Bilaspur" स्थान टिकरापारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	"The People Educational Trust, Bilaspur" स्थान टिकरापारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संतोष देवांगन,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक/326/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— आवेदक श्री देवराज जी सोनीगरा संस्थापक, श्री विमल नाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट नाकोड़ा भैरवनगर पचपेढ़ीनाका रायपुर ने श्री विमल नाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट नाकोड़ा भैरवनगर पंचपेढ़ीनाका रायपुर के नाम से लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इन्छा हो या सुझाव देना हो तो वे दिनांक 23-07-2010 को न्यायालयीन अवधि तक अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें या स्वत: अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17-06-2010 को जारी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री विमल नाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, नाकोड़ा, भैरवनगर, पचपेढ़ीनाका, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5,100 रु.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

तारन प्रकाश सिन्हा
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.